

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Budget-2019/ **Unst.- 37/ 22-CM**
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 23.02.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 37 due for
25.02.2019 asked by Shri Ajay Dutt, MLA.**

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/1240 dated 15.02.2019 received from Dy. Secretary (QB), Old Secretariat, Delhi -54, on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.



(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 37

दिनांक :- 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय दत्त, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि सरकार की ईएसआई कमांड से अम्बेडकर नगर वार्ड 81 के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने की कोई योजना है;	ई.एस.आई. कमांड से अंबेडकर नगर वार्ड 81 के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
(ख)	यदि हाँ, तो कब से; और	उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।
(ग)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	अतिरिक्त पानी का आबंटन न होने के कारण ई.एस.आई कमांड से अंबेडकर नगर वार्ड 81 के लिए पानी की आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती।


निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (A&P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

D.J.B., Govt. of NCT of Delhi